न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम

मु.नं.:– 11/2025 तारीख रजू :– 21.04.2025

पीठासीन अधिकारी :– पूजा मीना आर.ए.एस.

प्रभूदयाल पुत्र रूग्गी उम्र 60 साल जाति कुम्हार/प्रजापति निवासी तलाब के पास नो विस्वा टोडाभीम, तहसील टोडाभीम जिला करौली राज0

वादी

वनाम

1. तहसीलदार टोडाभीम, तहसील टोडाभीम जिला करौली राज0
2. रामस्वरूप पुत्र रूग्गी जाति कुम्हार/प्रजाति निवासी तलाब के पास नो विस्वा टोडाभीम तहसील टोडाभीम, जिला करौली राजव

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी नाम दुरुस्ती

अन्तर्गत धारा 88 आर0 टी0 एक्ट एवं

धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थित :– 1 श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट वादी

पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम

निर्णय दिनांक:– 08.10.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम टोडाभीम 9 विस्वा तहसील टोडाभीम खाता संख्या 117 सम्वत् 2076–2079 आराजी खसरा नम्बर 7442/0.46, 7447/0.56 कुल किता 2 कुल रकवा 1.02 है0 ग्राम टोडाभीम 9 विस्वा तहसील टोडाभीम जिला करौली राज0 में स्थित है। वादी ग्राम टोडाभीम का निवासी है उक्त आराजी वादी को अपने पिता रूग्गी से विरासत के रूप में मिली है वादी के बाबा का नाम सरबोल था सरबोल के दो लडके रूग्गी व रेवडया थे रेवडया के चार पुत्र वादी प्रभूदयाल, रामस्वरूप, मन्नू, भगोती थे तथा रेवडया के बत्तू सुआलाल व धर्मपत्नि ग्यारसी है रूग्गी की विरासत खोलते समय उनके वारिस पुत्रान रामस्वरूप, मन्नू, भगोती का नाम तो सही खोल दिया लेकिन वादी का नाम प्रभूदयाल के स्थान पर किशन अंकित कर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला-करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला-करौली

दिया जो गलत अंकित किया है जबकि वादी का सही नाम प्रभू दयाल है जो उसके आधार कार्ड जन आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड में अंकित है जो सही है रेवेन्यू रिकार्ड में वादी का नाम किशन अंकित कर दिया है जो गलत किया है इसलिये वादी अपना नाम किशन के स्थान पर प्रभूदयाल कराने का हकदार है।

वादी को उक्त गलती का पता चलने पर वादी दिनांक 09.04.2025 को तहसीलदार जी से तहसील कार्यालय में दस्तावेजात लेकर मिला तथा रेवेन्यू रिकार्ड जमाबन्दी में नाम दुरूस्त कराने को कहा तो उन्होने साफ इन्कार कर दिया और समक्ष न्यायालय से नाम दुरूस्त कराने का आदेश लाने को कहा, इसलिये दावा प्रस्तुत करनां आवश्यक हुआ है। दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर खसरा नम्बर 7442/0.46, 7447/0.56 कुला किता 2 कुल रकवा 1.02 है0 ग्राम टोडाभीम 9 विस्वा तहसील टोडाभीम जिला करौली राज0 में वादी का रेवेन्यू रिकार्ड में अंकित नाम किशन हजफ फरमाकर प्रभूदयाल अंकित किया जावे। इसी अनुरूप समस्त राजस्व रिकार्ड, जमाबन्दी में अमल दरामद किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया है प्रतिवादीगण सरकार पैरोकार उपस्थित हुये, पैराकार सरकार की ओर से जबाव प्रस्तुत किया कि ग्राम टोडाभीम 9 विस्वा की जमाबन्दी के खाता संख्या 117 पर कुल किता 02 कुल रकवा 1.02 है0 में वादी का नाम किशन पुत्र रूग्गी हिससा 1/4 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 देह रिकार्ड दर्ज है। वादी वादपत्र अनुसार किशन पुत्र रूग्गी के स्थान पर प्रभूदयाल पुत्र रूग्गी करवाना चाहता है। किशन पुत्र रूग्गी का नाम राजस्व रिकार्ड में साबिक नामान्तकरण संख्या 492 रकवा 10.10.1977 विरासत के द्वारा दर्ज हुआ है। संलग्न दस्तावेजात अनुसार किशन पुत्र रूग्गी व प्रभूदयाल पुत्र रूग्गी एक ही व्यक्ति है।

मैने वकील वादी एवं सरकार पैरोकार की बहस सुनी अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी का नाम प्रभूदयाल है लेकिन रेवेन्यू रिकोर्ड किशन हो गया है जबकि मेरे समस्त दस्तावेजो मे मेरा नाम प्रभूदयाल है मैने दस्तावेजो मे राशन कार्ड, आधार

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Scanned with OKEN Scanner

कार्ड, बैंकखाता पासबुक आदि के दस्तावेज पेश किये पैरोकार तहसीलदार द्वारा अपने जबाब के कथनो का दोहराते हुए कथन किया कि उक्त आराजी में वादी का नाम किशन है जो विरासत के नामान्तकरण के द्वारा आयी है।

मैने वादी वकील व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। जमावंदी ग्राम टोडाभीम 9 विस्वा खाता संख्या 117 में वर्णित खसरा नम्बर 7442 रकवा 0.46 है0, 7447 रकवा 0.56 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 1.02 है0 तहसील टोडाभीम में वादी का नाम किशन दर्ज है। विरासत के नामान्तकरण से प्रभूदयाल के स्थान पर किशन दर्ज हो गया। उक्त दस्तावेजों तथा तहसीलदार टोडाभीम की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः ग्राम टोडाभीम के ख्खाता संख्या 117 में वर्णित खसरा नम्बर 7442 रकवा 0.46 है0, 7447 रकवा 0.56 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 1.02 है0 तहसील टोडाभीम में वादी का नाम किशन पुत्र रूग्गी को हजफ कर प्रभूदयाल पुत्र रूग्गी अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है वादी का जमावंदी में दर्ज हिस्सा यथावत रहेगा। तहसीलदार टोडाभीम उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करे।

यह निर्णय दिनांक 08.10.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला करौली